	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 02, शुक्रवार, शाके 1948- जुलाई 24, 2026 Sravana 02, Friday, Saka 1948- July 24, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, फरवरी 09, 2026

संख्या प. 2 (4) वन/2026 :-चूकिं इसके साथ संलग्न अनुसूची में समाविष्ठ वन भूमि तथा बंजर भूमि में अथवा उस पर सरकार के और निजि व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार तथा सीमा की जाँच और उनका अभिलेखन राजस्थान वन अधिनियम, (1953 का राजस्थान अधिनियम सख्यां 13) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसरण में किया जा चुका है।

अतः अब उपर्युक्त अधिनियम की धारा (29) की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, राज्य सरकार एतद् द्वारा घोषित करती है कि कथित अधिनियम के अध्याय-4 के अनुबन्ध, पूर्वाक्त वन भूमि और बंजर भूमि पर लागू होगें जो कि एतद्पश्चात् **रक्षित वन Protected Forest** कहलाया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

बीजो जॉय,
विशिष्ट शासन सचिव, वन।

भूमि का विवरण

जिला	तहसील	वनखण्ड का नाम	ग्राम	खसरा न.	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
अलवर	रैणी	गांवड़ी	गांवड़ी	1	1.53	सीमा रेखा विवरण परिशिष्ट (अ) संलग्न है।
				2	3.40	
				3	6.04	
				4	3.79	
				5	2.79	

				6	3.56	
				14	5.66	
				15	3.34	
				23	0.50	
				24	0.18	
				29	0.11	
				30	2.48	
				31	0.14	
				117	5.39	
				118	0.04	
				302	0.01	
				303	2.62	
कुल योग				**17**	**41.58**	

मीरा कानूनगो,

वन बन्दोबस्त अधिकारी,

जयपुर।

राजस्थान सरकार

वन विभाग

परिशिष्ट (अ)

राजस्थान वन (बन्दोबस्त) नियम 1958 का नियम 9 (सी)

वनखण्ड: गांवड़ी रेंज या विस्तार: राजगढ़ जिला: अलवर

क्र. सं	स्तम्भ संख्या से	स्तम्भ संख्या तक	दूरी जरीब व कड़ियों में		दिशा	आगामी स्तम्भ तक सीमा रेखा का प्रकार
			जरीब	कड़ियां		
गांवड़ी						
1	1	2	3	30	पूर्व	सीधी रेखा
2	2	3	2	30	दक्षिण	सीधी रेखा
3	3	4	2	20	दक्षिण - पश्चिम	सीधी रेखा
4	4	5	2	60	दक्षिण - पश्चिम	सीधी रेखा
5	5	6	9	00	पश्चिम	सीधी रेखा

6	6	7	00	90	उत्तर- पश्चिम	सीधी रेखा
7	7	8	2	90	पश्चिम	सीधी रेखा
8	8	9	3	40	दक्षिण	सीधी रेखा
9	9	10	2	60	दक्षिण - पश्चिम	सीधी रेखा
10	10	11	00	30	दक्षिण - पश्चिम	सीधी रेखा
11	11	12	1	70	दक्षिण - पश्चिम	सीधी रेखा
12	12	13	00	70	पश्चिम	सीधी रेखा
13	13	14	1	60	दक्षिण - पश्चिम	सीधी रेखा
14	14	15	2	30	दक्षिण - पश्चिम	सीधी रेखा
15	15	16	3	40	दक्षिण - पश्चिम	सीधी रेखा
16	16	17	2	80	दक्षिण - पूर्व	सीधी रेखा
17	17	18	1	80	उत्तर- पूर्व	सीधी रेखा
18	18	19	00	30	उत्तर	सीधी रेखा
19	19	20	4	10	पूर्व	सीधी रेखा
20	20	21	5	50	दक्षिण - पूर्व	सीधी रेखा
21	21	22	3	60	पूर्व	सीधी रेखा
22	22	23	4	20	दक्षिण - पूर्व	सीधी रेखा
23	23	24	2	40	दक्षिण - पूर्व	सीधी रेखा
24	24	25	1	60	दक्षिण - पूर्व	सीधी रेखा
25	25	26	1	00	पूर्व	सीधी रेखा
26	26	27	5	20	दक्षिण - पूर्व	सीधी रेखा
27	27	28	00	60	पश्चिम	सीधी रेखा
28	28	29	1	00	दक्षिण	सीधी रेखा
29	29	30	0	70	पूर्व	सीधी रेखा
30	30	31	7	20	दक्षिण - पूर्व	सीधी रेखा
31	31	32	00	40	दक्षिण - पूर्व	सीधी रेखा
32	32	33	3	80	दक्षिण - पूर्व	सीधी रेखा
33	33	34	3	00	पूर्व	सीधी रेखा
34	34	35	1	00	दक्षिण - पश्चिम	सीधी रेखा
35	35	36	1	20	दक्षिण - पश्चिम	सीधी रेखा
36	36	37	3	20	दक्षिण	सीधी रेखा
37	37	38	4	00	दक्षिण	सीधी रेखा
38	38	39	2	00	दक्षिण - पश्चिम	सीधी रेखा

39	39	40	00	40	पश्चिम	सीधी रेखा
40	40	41	4	50	दक्षिण - पश्चिम	सीधी रेखा
41	41	42	00	70	पश्चिम	सीधी रेखा
42	42	43	13	80	उत्तर- पश्चिम	सीधी रेखा
43	43	44	26	50	उत्तर- पश्चिम	सीधी रेखा
44	44	45	10	00	उत्तर- पश्चिम	सीधी रेखा
45	45	46	7	60	उत्तर- पश्चिम	सीधी रेखा
46	46	47	26	00	उत्तर- पूर्व	सीधी रेखा
47	47	48	6	20	उत्तर- पूर्व	सीधी रेखा
48	48	49	9	10	उत्तर- पूर्व	सीधी रेखा
49	49	50	7	00	उत्तर- पूर्व	सीधी रेखा
50	50	51	6	50	पूर्व	सीधी रेखा
51	51	52	4	40	दक्षिण - पूर्व	सीधी रेखा
52	52	53	5	00	दक्षिण - पश्चिम	सीधी रेखा
53	53	1	11	20	दक्षिण - पूर्व	सीधी रेखा

नोटः

1. यह सर्वे कार्य 20 मीटर की जरीब से किया गया है जिसमें 100 कड़ियां होती है।

2. माप से अभिप्राय धरातल की सतह की माप से है।

3. दर्शाई गई माप नक्षे के अनुरूप है।

मीरा कानूनगो,

वन बन्दोबस्त अधिकारी,

जयपुर।

अधिकारों की संक्षिप्त सूची (1) वनखण्ड - गांवड़ी

रेंज-राजगढ़, तहसील- रैणी़ जिला-अलवर

(सुविधाऐं राज्य शासन द्वारा कमी भी वापस ली जा सकती है)

उन वन खण्डों की संख्या या नाम जिनके खुले भाग में ये अधिकार/ सुविधाएं	पट्टी का नाम	ग्राम जिसे अधिकार सुविधाएं प्राप्त है	घरों की संख्या	जन संख्या	परिवार की संख्या	हलों की संख्या	निःशुल्क चरने वाले स्वीकृत पशुओं की संख्या	मकानों के लिए लकडी के लट्ठे प्रतिवर्ष नग फुटों में	
								निवास-गृह	पशुशालाएं विविध लकडियां

उपयोग में आ सकते है।									
1	2	3	3ए	3बी	3सी	3डी	4	5ए	5बी
गांवड़ी	**गांवड़ी**	-	-	-	-	-	-	-	-

कृषि उपकरणों के लिए के लिए लकडी (प्रति वर्ष) क्युबिक फुट लट्ठों में	गिरी लकड़ी का ईंधन (प्रति वर्ष) सिरभारों में	लुहारों के लिए कोयला (प्रति वर्ष) सिरभारों में	विविध अधोवन	चारे का घास	चारे का घास बिक्री के लिए	घास छप्परों के लिए	बाबर	घास के लिए हरे पत्ते	पत्ते सुखे
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

फल और जडें	लताओं और बेलों की छाले	बांस (प्रति वर्ष कोडियों में)	भवन के लिए पत्थर	स्लेट	चूना पत्थर	सिंचाई जल-पथ	मीलों के लिए पानी	मछलियां पकडना	शमशान घाट	विवरण
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

टिप्पणीः- वनखण्ड - गांवड़ी, में ग्रामवासियों को कोई हक हकूक प्राप्त नहीं रहेगें।

मीरा कानूनगो,
वन बन्दोबस्त अधिकारी
जयपुर।

रियायतों की संक्षिप्त सूची (2) वनखण्ड - गांवड़ी
रेंज-राजगढ़, तहसील- रैणी़ जिला-अलवर

(सुविधाऐं राज्य शासन द्वारा कमी भी वापस ली जा सकती है)

उन वन खण्डों की संख्या या नाम	पट्टी का नाम	ग्राम जिसे अधिकार सुविधाएं प्राप्त है	घरों की संख्या	जन संख्या	परिवार की संख्या	हलों की संख्या	निःशुल्क चरने वाले स्वीकृत पशुओं की	मकानों के लिए लकडी के लट्ठे प्रतिवर्ष नग फुटों में	
								निवास-गृह	पशुशालाएं विविध

जिनके खुले भाग में ये अधिकार/ सुविधाएं उपयोग में आ सकते है।							संख्या		लकडियां
1	2	3	3ए	3बी	3सी	3डी	4	5ए	5बी
गांवड़ी	**गांवड़ी**	-	-	-	-	-	-	-	-

कृषि उपकरणों के लिए के लिए लकडी (प्रति वर्ष) क्युबिक फुट लट्ठों में	गिरी लकड़ी का ईंधन (प्रति वर्ष) सिरभारों में	लुहारों के लिए कोयला (प्रति वर्ष) सिरभारों में	विविध अधोवन	चारे का घास	चारे का घास बिक्री के लिए	घास छप्परों के लिए	बाबर	घास के लिए हरे पत्ते	पत्ते सुखे
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

फल और जडें	लताओं और बेलों की छाले	बांस (प्रति वर्ष कोडियों में)	भवन के लिए पत्थर	स्लेट	चूना पत्थर	सिंचाई जल-पथ	मीलों के लिए पानी	मछलियां पकडना	शमशान घाट	विवरण
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

टिप्पणीः- वनखण्ड - गांवड़ी, में ग्रामवासियों को कोई रियायत स्वीकार नहीं की गई है।

मीरा कानूनगो,

वन बन्दोबस्त अधिकारी,

जयपुर।

न्यायालय वन बन्दोबस्त अधिकारी जयपुर

पीठासीन अधिकारी - मीरा कानूनगो

वाद क्रमांक-03/2014 निर्णय दिनांक- 30.10.2025

वन विभाग बनाम ग्रामवासियान बगैरह ग्राम - गांवडी
तहसील - रैणी , जिला - अलवर।

विषयः जॉच हक हकूक ग्राम-सुनवाई रक्षित वनखण्ड गांवडी तहसील राजगढ हाल रैणी।

निर्णय

पत्रावली न्यायालय हाजा/कोर्ट केम्प राजगढ़ में पेश हुई। वनखण्ड गांवडी को राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 29 के अन्तर्गत रक्षित वन क्षेत्र के गठन बाबत् एक विज्ञप्ति संख्या एफ. 2 (8) वन/2002 जयपुर, जून 27, 2002 जो राजस्थान राजपत्र संख्या भाग 1 'ख' दिनांक जुलाई 1, 2002 प्रकाशित हुआ। नियमानुसार उक्त वनखण्ड से सम्बंधित ग्राम-गांवडी, तहसील राजगढ़ हाल रैणी जिला अलवर के आराजी हाल खसरा नम्बर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 23, 24, 29, 30, 31, 117, 118, 302, 303 कुल किता 17 रकबा 41.58 हेक्टेयर भूमि को रक्षित वन क्षेत्र में सम्मिलित रखने बाबत एक उद्धघोषणा दिनांक-28.08.2014 को जारी की जाकर संबंधित पक्षकारान से अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु तीन माह का अवसर दिया गया।

वन विभाग की ओर से क्षेत्रीय वन अधिकारी राजगढ़ श्री बबलुराम मीना उपस्थित हुये, उन्होने अपने बयानों में जाहिर किया है कि वन खण्ड गांवडी के अन्तर्गत राजस्व ग्राम-गांवडी के खसरा नम्बर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 23, 24, 29, 30, 31, 117, 118, 302, 303 कुल किता 17 रकबा 41.58 हेक्टेयर सम्मिलित किया जा रहा है पर वन विभाग काबिज है जिसमें ग्रामवासियों को कोई हक-हकुक नहीं दिये जावे। पटवारी हल्का श्री कृष्ण कुमार मीना उपस्थित हुये उन्होंने ग्राम-गांवडी से संबंधित राजस्व अभिलेख के आधार पर बयान दर्ज कराये मुताबिक राजस्व अभिलेख आराजी हाल खसरा नम्बर 1 रकबा 1.53, खसरा न0 2 रकबा 3.40, खसरा न0 3 रकबा 6.04, खसरा न0 4 रकबा 3.79, खसरा न0 5 रकबा 2.79, खसरा न0 6 रकबा 3.56, खसरा न0 14 रकबा 5.66, खसरा न0 15 रकबा 3.34, खसरा न0 23 रकबा 0.50, खसरा न0 24 रकबा 0.18, खसरा न0 29 रकबा 0.11, खसरा न0 30 रकबा 2.48, खसरा न0 31 रकबा 0.14, खसरा न0 117 रकबा 5.39, खसरा न0 118 रकबा 0.04, खसरा न0 302 रकबा 0.01, खसरा न0 303 रकबा 2.62, कुल किता 17 रकबा 41.58 हेक्टेयर भूमि वन विभाग के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें ग्रामवासियों को कोई अधिकार एवं रियायते स्वीकार नहीं की जावे।

वनखण्ड गांवडी रेंज राजगढ़ को रक्षित वन क्षेत्र के गठन बाबत पक्षकारान् से निर्धारित समयावधि में आपत्तियाँ चाही गई थी, किन्तु किसी व्यक्ति अथवा संस्था ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है एवं ना ही दौरान सुनवाई अपना पक्ष प्रस्तुत किया है इससे विदित्त होता है कि उक्त रक्षित वनखण्ड में शामिल किये जाने वाले ग्राम गांवडी के रकबे बाबत उन्हें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

अतः वनखण्ड पत्रावली, पक्षकारान् के बयानात, राजस्व अभिलेख यथा जमाबन्दी सम्वत् 2075 के परीक्षण करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि ग्राम गांवडी तहसील राजगढ़ जिला अलवर के आराजी खसरा नम्बर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 23, 24, 29, 30, 31, 117, 118, 302, 303 कुल किता 17 रकबा 41.58 हेक्टेयर भूमि वन विभाग के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त सम्पूर्ण वन भूमि पर वन विभाग अविवादित रूप से काबिज है।

अतः उक्त ग्राम के आराजी खसरा नम्बर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 23, 24, 29, 30, 31, 117, 118, 302, 303 कुल किता 17 रकबा 41.58 हेक्टेयर वन भूमि को राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 29 (3) के अन्तर्गत जारी विज्ञप्ति की सुनवाई पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप अब मैं उक्त क्षेत्र को राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 29 (1) के अन्तर्गत रक्षित वन (**Protected forest**) क्षेत्र के रूप में गठन करने की अनुसंशा करती हूँ।

वनखण्ड गांवडी रेन्ज राजगढ़ ,जिला अलवर में ग्रामवासियों को किसी प्रकार के (हक-हकुक) अधिकार/अनुदान/रियायतें स्वीकार नहीं की गई है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुली अदालत में सुनाया गया। निर्णय प्रति संबधित, उप वन संरक्षक, अलवर को भिजवाई जावें।

मीरा कानूनगो,
वन बन्दोबस्त अधिकारी,
जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।